

## REFERENCES TO CALLING ATTENTION NOTICES

### (1) FAMINE SITUATION IN THE MYSORE STATE

**SHRI MULKA GOVINDA REDDY** (Mysore) : Madam Deputy Chairman, I, along with four other Opposition Members belonging to all the Parties here, have tabled a calling attention motion regarding the acute famine situation that is obtaining in Mysore State. Mysore State is in the grip of a famine. "Praja Vani", a responsible Kannada leading daily, of Bangalore, which is not a friend of the PSP, has reported in its issues of 18th August, 23rd August and 25th August, 1966, regarding starvation deaths that had occurred in Mandya and Ramnagaram in Bangalore district and Bangalore city proper. Again, on the 30th August, 1966, the "Praja Vani" has reported that five people died in a village near Mysore. Therefore, I would like to call the attention of the Government to this. Madam, the situation is really very serious. The State Government appears to be complacent and callous and proper and adequate relief measures have not been undertaken. The Government of India is also not taking as much interest as it should particularly when food is controlled and when the people of Mysore State for the third year continuously are suffering on account of famine situation that is obtaining in the State. I would like to call the Government's attention to investigate into these matters and make a statement, and I would also like to urge upon the Government to take adequate steps to provide food and drinking water to the people of Mysore State who are in the grip of famine.

**THE DEPUTY CHAIRMAN :** I think you will investigate and make a statement. The Government's attention is drawn. Then Mr. Rajnarain.

### (2) MAP OF JAMMU AND KASHMIR PUBLISHED FROM SRINAGAR

**श्री राजनारायण** (उत्तर प्रदेश) : हमारे चार कॉलिग अटेंशन नोटिसेज थे। इसमें दो को छोड़ बाकी आज पढ़ने को कहा गया है। दो को आगे लूंगा।

**THE DEPUTY CHAIRMAN :** You will do it one after the other.

**श्री राजनारायण :** पहला कॉलिग अटेंशन हमारा है, काश्मीर के बारे में। हमारे एक मित्र आज ही काश्मीर से लौटे हैं। काश्मीर में एक नक्शा, जो हमारे हाथ में है, बाकायदा दुकानों पर बिक रहा है। इस नक्शे में जम्मू और काश्मीर की सीमा दी गई है और जम्मू और काश्मीर की सीमा पर "इन्डियन यूनियन" लिखा हुआ है और एक सीमा पर पाकिस्तान लिखा हुआ है, एक सीमा पर चाइना लिखा हुआ है।

तो मैं आपके जरिये, माननीय, सरकार का ध्यान और इस सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि खुले आम काश्मीर में एक ऐसा नक्शा बांटा जाता हो जिस नक्शे में इन्डियन यूनियन का हिस्सा काश्मीर में न दिखाया जाता हो बल्कि काश्मीर की सीमा, जम्मू और काश्मीर की सीमा, पर इन्डियन यूनियन दिखलाया जाता हो, तो जरूर सरकार का ध्यान जाना बहुत जरूरी है। यह नक्शा हमारे पास है और हमारे साथी गिरिजा प्रसाद तिवारी, जो एम० ए० पास हैं, आज ही लौट के आए हैं और इस नक्शे को खरीद कर लाये हैं। इसमें लिखा हुआ है :

Issued by Chronicle Publishing House, Srinagar, Kashmir, India. Also available.

Kashmir through Ages, 7th Edition, by G. L. Kaul.

Kashmir Guide and Album.

Picturesque map of Kashmir.

Tourist Map of Kashmir.

Political Map of Kashmir.

यह सब जगह पर अवैलेबल है। सरकार की ओर से जो टुरिस्ट मैप काश्मीर का है, का है, जहां जो पोलिटिकल मैप काश्मीर

[श्री राजनारायण]

ये सब बिकते हैं, वहीं यह नक्शा बिक रहा है। इसमें नेहरू जी का एक वाक्य भी लिखा हुआ है :

"While part of India, Kashmir is in fact the heart of Asia and for countless ages great caravans had passed from India right up to Central Asia through this State. I wonder how many people realise that Kashmir is further north than Tibet."

तो आज राष्ट्रीय हित के विरोध में, भारतीय संघ के विरोध में, काश्मीर के अंदर इस तरह का नक्शा बांटा जाय और यह सरकार उपेक्षा करे, इसकी जानकारी में यह बात न आये, यह एक बहुत ही जबर्दस्त राष्ट्रहित के विरोध में, एन्टी नेशनल एक्टिविटी के रूप में, काश्मीर में काम हो रहा है। मैं आपके जरिये माननीय, इस नक्शे को सरकार के पास भेजना चाहता हूँ और सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो जम्मू और काश्मीर का यह नक्शा बांटा जा रहा है, जिस के बार्डर पर कि इन्डियन यूनियन दिखाया जा रहा है, इसका वितरण बंद होना चाहिये और अब तक इस तरह की जो गलत कार्यवाही हुई है उसके लिये सरकार की भर्त्सना होनी चाहिये और काश्मीर की सरकार की भर्त्सना होनी चाहिये जो इस तरह के नक्शे को वहां बांटने पर तनिक भी पाबंदी नहीं लगा रही है।

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) : Is it issued by the Tourist Information Service ?

श्री राजनारायण : क्रानिकल पब्लिशिंग हाऊस, श्रीनगर, इन्डिया।

THE DEPUTY CHAIRMAN : He is drawing the attention of the Government and the Government should look into this.

SHRI LOKANATH MISRA : The map is being sold and it is a serious matter.

श्री राजनारायण : मेरी इसमें माननीया, केवल अर्ज यह है कि . . .

SHRI LOKANATH MISRA : The Deputy Minister of Home Affairs is here. Let him explain.

THE DEPUTY CHAIRMAN : He has to look into it.

SHRI SYED AHMED (Madhya Pradesh) : Madam, what is wrong with that map—we want to know.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Let him finish.

श्री राजनारायण : मुझे अफसोस है कि कांग्रेस बेन्च के, सरकारी पक्ष के, एक सम्मानित सदस्य सैयद अहमद साहब यह पूछ रहे हैं हमसे कि : what is wrong in this map ?

SHRI SYED AHMED : No, no. We have not seen it. We want to know . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Rajnarin has to say it very briefly. I hope the hon. Members are following. You need not repeat all that.

श्री राजनारायण : माननीया, सैयद साहब यह पूछ रहे हैं, कि क्या है उन्होंने सुना नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह नक्शा एन्टी नेशनल है, राष्ट्रहित विरोधी है, इसमें जम्मू और काश्मीर की सीमा पर इन्डियन यूनियन दिखाया गया है, यह बिल्कुल गलत है। बल्कि इन्डियन यूनियन के अंतर्गत काश्मीर है, काश्मीर उसका पार्ट है, ऐसा नक्शा सही नक्शा माना जाना चाहिये और इस तरह से जो गलत काम हो रहा है इस गलत काम पर पाबंदी होनी चाहिये, रोकथाम होनी चाहिये। इस सरकार की भर्त्सना होनी चाहिये। केवल मैं ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ सरकारी पक्ष के कांग्रेसी सदस्य भी इस बात पर भर्त्सना करेंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN : You have drawn the attention to this. Your next calling attention notice.

श्री राजनारायण : मैं आपकी खिदमत में आपके द्वारा यह भेज दूँ . . .

उपसभापति : यह आप मिनिस्टर साहब को दे सकते हैं।

श्री अर्जुन अरोड़ा (उत्तर प्रदेश) :  
दस्तखत करके दें।

(3) A CASE OF ALLEGED VIOLATION OF  
GOLD CONTROL ORDER

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) :  
माननीया, यह बहुत ही अहम मसला था। और अब जो दूसरा कॉलिंग अटेंशन है, वह बहुत ही बड़े रहस्य, राज, को खोलने वाला है। इसलिये मैं पहले ही अदब के साथ, आपके जरिये, सदन के सम्मानित सदस्यों से अपील कर देना चाहता हूँ कि जरा इसको भी ठीक से सुनेंगे।

श्री चिरंजीलाल श्रीलाल गोयनका ने करीब 17 लाख रुपये का सोना ब्रथा जेवरात . . .

उपसभापति : यह आपने कॉलिंग अटेंशन दिया है क्या ?

श्री राजनारायण : जी हां, हमने लिखा है।

श्री महेश्वर नाथ कौल (नाम-निर्देशित) :  
सब्जेक्ट क्या है ?

श्री राजनारायण : सब्जेक्ट यह है कि गोल्ड कंट्रोल आर्डर के बिल्कुल उलटे ही चिरंजीलाल श्रीलाल गोयनका ने काम किया और हाई कोर्ट आफ जुडीकेचर फार राजस्थान, जोधपुर, का जजमेंट भी हमारे पास है। उस जजमेंट में श्री चिरंजीलाल गोयनका . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN : You refer to the substance of the calling attention notice . . .

श्री राजनारायण : जी हां, वही बता रहा हूँ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Do not emphasise on mentioning the names.

श्री राजनारायण : मैं जब उसको पढ़ता हूँ लोग घबड़ाने लगते हैं।

उपसभापति : यह ठीक है, हमने कॉलिंग अटेंशन नोटिस देखा नहीं है। If you have put in a calling attention notice, I would request you to give the substance of the thing rather than the names. The names need not come at this stage.

SHRI SYED AHMED (Madhya Pradesh) : We have not seen the calling attention notice that he has given to the Government. He is reading.

श्री राजनारायण : मैं आपसे अजुं करूँ कि मैंने इसको पढ़कर चेयरमैन साहब को सुनाया था। चेयरमैन साहब ने कहा था कि आपने जो लिख कर के दिया है उसको पढ़ दीजिए और पढ़ने के बाद जो जजमेंट है उसका पोरशन हम आपकी खिदमत में बता देंगे। उसको हमने बहुत से लोगों को दिखाया है। तो श्री चिरंजीलाल श्रीलाल गोयनका ने करीब 17 लाख रुपये का सोना और जेवरात गोल्ड कंट्रोल आर्डर से बचने के लिये अपने घर में छिपा रखा था। इन्कमटैक्स अधिकारियों ने 24 नवम्बर 1965 को इनके बम्बई के घर में तथा कार्यालय में तलाशी ली। 1 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तक उनके रामगढ़, राजस्थान के घर की तलाशी ली। जनवरी 1966 में भी कुछ स्थानों पर तलाशी ली। गोल्ड कंट्रोल आर्डर का उल्लंघन करने के आरोप पर गोयनका पर मुकद्दमा चलाया। मुकद्दमे से बचने के लिये गोयनका ने एक जाली खत बनाया स्टेट बैंक आफ इंदौर के लिये 18 नवम्बर 1965 को कि वे अपना गोल्ड टेन्डर करना चाहते हैं गोल्ड बान्ड स्कीम के अंदर। हाई-कोर्ट ने सभी बातों को देखते हुए जजमेंट दिया है जिसमें लिखा है कि गोयनका ने